<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

एफ.6 (29) परीक्षा 'क'/राज्य – अधी/2012–13/337 **दिनांक : 24.06.2016**

<u>विज्ञप्ति</u>

आरएएस परीक्षा, 2013 के मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नाकिंत निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :–

1. अभ्यर्थी विस्तृत ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र भरने हेतु वेबपोर्टल पर जारी दिशा–निर्देश आवश्यक रूप से अवलोकन कर लें।
2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी दिनांक 27.06.16 से 05.07.16 दिनांक तक आयोग के वेबपोर्टल **rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline** पर उपलब्ध लिंक **<u>"Online Detailed Form"</u>** अथवा **rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline/showDetailedForm** पर विस्तृत आवेदनपत्र ऑनलाईन भरें । उक्त दिनांक के पश्चात् वेबपोर्टल से लिंक निष्क्रिय हो जावेगा। ऑनलाईन भरे गये एवं **Submit** किये गये आवेदन पत्र की दो प्रति प्रिन्ट लेकर स्वयं हस्ताक्षरित कर एवं दस्तावेजों को एक प्रति में संलग्न कर उपरोक्त अवधि में ही आयोग कार्यालय में जमा कराये। राजपत्रित अवकाश दिनाकं 02.07.16 एवं 03.07.16 को भी आयोग कार्यालय में विस्तृत आवेदन पत्र जमा किये जा सकेगें।
3. अभ्यर्थी विस्तृत ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्राथमिकता क्रम प्रपत्र में दर्शायी गयी सेवाओं में स्वंय की प्राथमिकताओं का उल्लेख करें । विस्तृत आवेदन पत्र में भरी गयी उक्त प्राथमिकता क्रम अंतिम होगी इसी प्राथमिकता क्रम के आधार पर शासन द्वारा नियुक्ति प्रदान की जावेंगी । पदों का विवरण आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 29.11.2015 को जारी किया हुआ है।
4. राजस्थान सरकार के कर्मचारी/केन्द्रीय सेवा के कर्मचारी/सार्वजनिक उपक्रम/अन्य सेवारत अभ्यर्थी सेवा संबंधित सूचना का इन्द्राज विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित अतिरिक्त विस्तृत सूचना जिसमें पद का नाम, नियुक्ति अधिकारी का नाम एवं विभाग एवं पद ग्रहण करने एवं छोड़ने, सेवा प्रकार इत्यादि सूचना आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरें एवं सेवा प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज के रूप में आवेदन प्रपत्र के साथ भेजें।
5. साक्षात्कार के समय एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। महिला अभ्यर्थी पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ओबीसी के प्रमाण पत्र जुलाई 2015 के पश्चात् के मान्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों के जुलाई 2013 से जुलाई 2015 तक जारी ओबीसी प्रमाण पत्र हैं, वे अभ्यर्थी नॉन क्रिमीलेयर होने का शपथ पत्र, प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें । इससे पूर्व के ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य होंगे ।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव